K-337

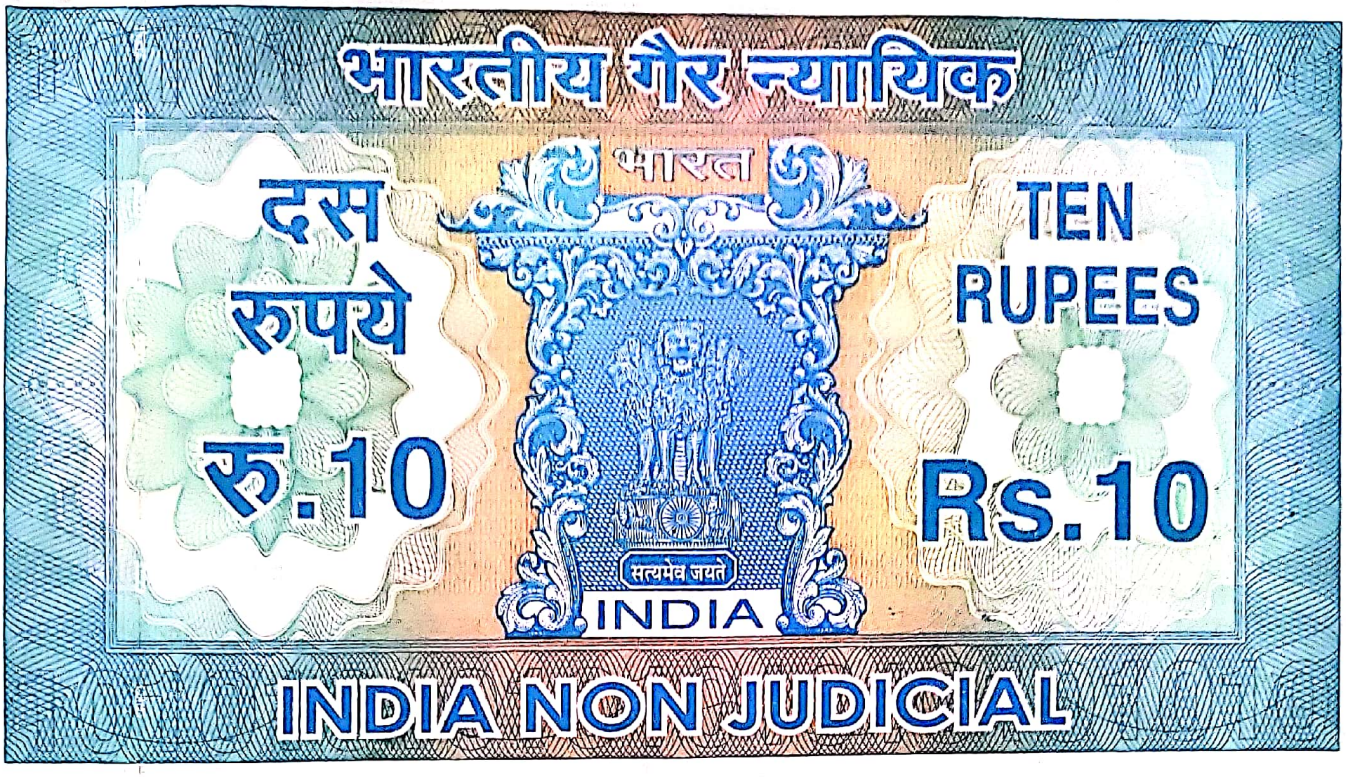

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AE 288487

सत्यप्रतिलिपि पर देय स्टाम्प.......10......

कुल पृष्ठ.......4.......

सत्यप्रतिलिपि का क्रमांक.......7862/22.......

सत्यप्रतिलिपि

पढ़ा....................

सुना....................

उप रजिस्ट्रार प्रथम
गाजियाबाद

जिले का नाम	तहसील और परगने का नाम	गांव का नाम	सीवा और ब्यौरा उस जायदाद का, जिसका वर्णन दस्तावेज में है (ऐक्ट १६, बाबत सन् १९०८ ई० की दफा २१) उस जायदाद के दूसरे ब्यौरे एक्ट १६, बाबत सन् १९०८ ई० की दफा २१ के अनुसार और तारीख तकमील		मामले की किस्म और मालियत	स्टाम्प मालियत
गा॰ बाद	गा॰ बाद लौनी	पसौन्डा	म॰ एक बीघा पांच बिस्वे पुरख्ता ख॰ न॰ 346 रकबई ग्यारह बिस्वा पुरख्ता	राजी॰ शुल्क 21/ Dwale 13.7.82	20,000/	2000/ 50/ 50/ 2100/

दस्तावेज की नकल

बैनामा अंकन 22,000/ रु॰ स्टाम्प 2100/ रु॰ विक्रय सम्पत्ति मवाजी एक बीघा पांच बिस्वे पुरख्ता भूमि। स्थित ग्राम पसौन्डा
परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद। कृषि भूमि है कृषि हेतु विक्रय की जा रही है। किसम जमीन - सेवटा दोयम खाकी
जिसकी सरकारी निर्धारित दर 8,650/ रु॰ प्रति बीघा पुरख्ता से मालियात 10,812/ रु॰ 50 पैसे होती है और विक्रीत भूमि
का लगान 7/ रु॰ 50 पैसे सालाना है। मैं कि श्री हफीजुद्दीन पुत्र करमुद्दीन उर्फ मिरची निवासी ग्राम पसौन्डा परग-
ना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद का हूँ। विदित हो कि मवाजी एक बीघा पांच बिस्वे पुरख्ता भूमि सम्बन्धित
नम्बरी शिजरा खसरा सहराई 346 रकबई ग्यारह बिसवा 337 रकबई सात बिस्वा स्थित ग्राम पसौन्डा परगना लौनी
तहसील व जिला गाजियाबाद का विक्रेता सत्ता प्राप्त स्वामी व अधिपति है खसरा नम्बर 346 रकबई ग्यारह बिस्वा
पुरख्ता को मुझ विक्रेता ने बजोरिये बैनामा इकरारी अलीहसन तारीख तहरीरी 3-1-76 ई॰ जिसकी रजिस्टरी बही
नम्बर - एक जिल्द 1938 के पृष्ठ 148 ता 151 में नम्बर - 76 दिनांक 5-1-76 ई॰ को कार्यालय सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद में
दर्ज होकर हुई है भूमि उक्त को 6000/ रु॰ में खरीद किया था तथा खसरा नम्बर 337 रकबई सात बिस्वा व 338 रकबई
सात बिस्वे को मुझ विक्रेता ने बजोरिये बैनामा इकरारी खजान तहरीरी तारीख 3-1-76 जिसकी रजिस्टरी बही
नम्बर एक जिल्द 1938 के पृष्ठ 152 ता 1555 में नम्बर - 77 पर दिनांक 5-1-76 ई॰ को कार्यालय सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद
में दर्ज होकर हुई है 8000/ रु॰ में खरीद किया था। उपरोक्त भूमि मेरी और से हर प्रकार की देनदारी आदि से सुर-
क्षित है कहीं अन्य जगह आड रहन बय है वे महायदा बय जमानत आदि में ग्रस्त नहीं है और कागजात माल में
मेरा नाम दर्ज है। बेचने का मुझ विक्रेता को पूरा हक हासिल है। अतः मैंने अपनी खुशी व रजामन्दी से उप-
रोक्त भूमि के तमामी हकूक मालकाना दाखली व खारजी हर किसम गर्ज कि जो कुछ भी उससे सम्बन्धित है
आज की तारीख में बदले मुबलिग 20,000/ रु॰ बीस हजार रुपये में आधे जिसके अंकन 10,000/ रु॰ होते हैं हाथ श्री
रामनरेश व विजयकुमार व सुदनकुमार बालिगान पुत्रगण मांगेराम व पुष्पेन्दर नाबालिग पुत्र
मांगेराम बाविलायत रामनरेश भ्राता निवासी ग्राम सिकन्दरपुर परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद के
बय कतई कर दिया और बेच दिया और कुल रुपया पेशगी मकान पर वसूल पा लिया। अब विक्रीत भूमि की मिल-
कियत से मेरा व वारसान मेरे का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा न आइन्दा होगा कब्जा मौके पर खरीदारान का बो
जोत द्वारा पहले से करा रखा है जिससे खरीदारान पूर्ण रूप से मालिक काबिज बन गये हैं अपनी इच्छानुसार
प्रयोग में लाकर लाभ उठावें दाखिल खारिज कागजात माल में करा दूंगा। वरना खरीदारान खुद करा लें कुछ
उजर नहीं होगा यदि बवजह बेइस्तहकाकी मेरे वा वदावेदारी शहीम व शरीक वारसान मेरे के विक्रीत भूमि
कुल या जुज कब्जे खरीदारान से निकल जावेगी तो कुल रुपये की वापसी मय खर्चा हर्जा व जुमले हर्जे

पढ़ा.........
सुना.........

बही नम्बर १—दस्तावेज का सिलसिले का नम्बर 19534 Cont— of 1982

215

संख्या और ब्योरा उस जायदाद का, जिसका वर्णन दस्तावेज में है (ऐक्ट १६, बाबत सन् १९०८ ई० का दफा २१)				मामले का किस्म और मालियत	स्टाम्प की मालियत
जिला नाम	तहसील और परगने का नाम	गांव का नाम	उस जायदाद के दूसरे ब्योरे ऐक्ट १६, बाबत सन् १९०८ ई० का दफा २१ के अनुसार और तारतम्य नक्शा		

दस्तावेज की नकल

खर्चे के जिम्मेदार रहूँगा विक्रीत भूमि की बाजारी कीमत यही है आस पास भाव 5000/ रु० प्रति बीघा खाम है बैनामे का खर्चा खरीदारान ने सहन किया है अतः यह बैनामा कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। नोट पर्त 1 की सतर 10 में शब्द हकूक व मालकाना के बीच व सतर 15 में शब्द पुत्र व मांगेराम के बीच कटे हैं। ह० हफीजुद्दीन। तारीख 13-7-82 ई० मसौदा मूलराम वसीकेनवीस गाजियाबाद (टाइप किया) आदेश कुमार शर्मा ह० मूलेराम उ० मु० ह० हफीजुद्दीन गo रामपाल पुत्र सुरजमान निवासी सिकन्दर पुर ह० रामपाल गo पैमराज सिंह पुत्र जहाँगीर सिंह निवासी सिकन्दर पुर ह० पैमराज ह० हफीजुद्दीन ह० हफीजुद्दीन × [illegible] × नं० 666 तारीख 13 Jul 1982 रु० 2000/ श्री रामनरेश S/o श्री मांगेराम सिकन्दर पुर ह० तारानन्द (ताराचन्द लान जी० ए० गा० बाद मो०) नं० 666 तारीख 13 Jul 1982 रु० 401 शामिल नं० 666 के बेचा ह० ताराचन्द (मो०) नं० 668 तारीख 13-7-82 13 Jul 1982 रु० 401 शामिल नं० 666 के बेचा ह० नाराचन्द 13-7-82 (मो०) बैनामा 20000/ रजि० शुल्क 211/ नकल शुल्क 6/ योग 217/ शब्द लगभग 800 श्री हफीजुद्दीन पुत्र करमुद्दीन उर्फ मिस्त्री पेशा खेती निवासी ग्राम पसौन्डा परगना लोनी ने कार्यालय रजिस्ट्रार गाजियाबाद में आज दि० 13-6-82 मध्य 3 व 4 बजे प्रस्तुत किया ह० प्रभात कुमार उ० नि० ह० हफीजुद्दीन लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमें लिखे जारे बदल रु० 20000/ बीस हजार रुपया कुल पेशगी पाकर उक्त श्री हफीजुद्दीन मुकिर ने स्वीकार किया। पहिचान श्री 13-7-82 राकेश दत्त कौशिक वसीकानवीस गाजियाबाद व श्री पैमराज सिंह पुत्र श्री जहाँगीर सिंह पेशा खेती निवासी ग्राम सिकन्दर पुर परगना लोनी ने की ह० प्रभात कुमार उ० नि० ह० हफीजुद्दीन (अ) ह० राकेश दत्त कौशिक ह० पैमराज 13-7-82 (अ) उपरोक्त साक्षी 1/2 के निशानी अंगूठा नियमानुसार लिये गये जो देखने में भले प्रतीत होते हैं ह० प्रभात कुमार उ० नि० 13-7-82 बही नं० I जिल्द 2898 के पृष्ठ 213/214 में नम्बर 19534 पर आज दिनांक 11-8-82 को रजिस्ट्री की गई Sd. B.K. Sharma C.S.R.

नकल कर्ता अंजना मित्तल

मुकाबला कर्ता [signature]

सत्यप्रतिलिपि

पढ़ा ....

सुना ....

सत्यप्रतिलिपि

C.S.R. [signature]

[stamp] प्रबन्ध ... गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner